भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2895

सोमवार, 21 मार्च, 2022 (30 फाल्गुन, 1943 (शक))

लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2895. श्री डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईएस) की योजना लागू कर रही है**;**

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थापित आईटीआई का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी निधि व्यय की गई है**;**

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार के पास पूरे भारत में 14,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) का विशाल नेटवर्क है। आईटीआइज की स्थापना तथा इसका संचालन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है जबकि परीक्षा एवं प्रमाणन के साथ-साथ मानदंडो का निर्धारण तथा पाठ्यक्रम डिजाइन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित होते हैं। देश भर में पश्चिम बंगाल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील आईटीआइज का ब्यौरा ***अनुबंध-I*** में दिया गया है।

(घ) पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार नामांकित तथा प्रशिक्षित छात्रों की कुल संख्या ***अनुबंध-II*** में दी गई है।

(ङ) तथा (च) यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कुशल कार्यबल का प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण औपचारिक कौशल प्रशिक्षण के साथ उपलब्ध अल्प कार्यबल तथा अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कुशल अथवा अकुशल कार्यबल की उपलब्धता है।
निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं: -

- **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पाठ्यक्रमों को संरेखित करना।
- मौजूदा कौशल की मैपिंग, कौशल-अंतराल को समझना, **री-स्किलिंग तथा अप-स्किलिंग** द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना।
- विभिन्न योजनाओं के तहत **उद्योग प्रासंगिक नियोजनीय कौशल** में प्रशिक्षण प्रदान करना।

- बदलती तकनीक तथा वैश्विक मांग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए **इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन पॉयलट, जियो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट** जैसे न्यू एज पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

अनुबंध-I

दिनांक 21.03.2022 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2895 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ग्रामीण क्षेत्रों में कुल आईटीआइज की संख्या**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4
2.	आंध्र प्रदेश	437
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	असम	21
5.	बिहार	1151
6.	चंडीगढ़	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	185
8.	दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	3
9.	दिल्ली	15
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	314
12.	हरियाणा	272
13.	हिमाचल प्रदेश	239
14.	जम्मू एवं कश्मीर	39
15.	झारखंड	276
16.	कर्नाटक	983
17.	केरल	406
18.	लद्दाख	2
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	533
21.	महाराष्ट्र	910
22.	मणिपुर	1
23.	मेघालय	5
24.	मिजोरम	शून्य
25.	नागालैंड	3
26.	ओडिशा	383
27.	पुद्दुचेरी	7
28.	पंजाब	250
29.	राजस्थान	1329
30.	सिक्किम	3
31.	तमिलनाडु	444
32.	तेलंगाना	188
33.	त्रिपुरा	18
34.	उत्तर प्रदेश	2285
35.	उत्तराखंड	75
36.	***पश्चिम बंगाल***	***164***
	कुल	**10,961**

अनुबंध - II

दिनांक 21.03.2022 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2895 के भाग (घ) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष-18-19**		**वित्तीय वर्ष-19-20**		**वित्तीय वर्ष-20-21**		**वित्तीय वर्ष-21-22**	
	नामांकित	**प्रशिक्षित/ प्रशिक्षण उन्मुख**	**नामांकित**	**प्रशिक्षित/ प्रशिक्षण उन्मुख**	**नामांकित**	**प्रशिक्षित/ प्रशिक्षण उन्मुख**	**नामांकित**	**प्रशिक्षित/ प्रशिक्षण उन्मुख**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	369	74	2,688	1,259	147	1,464	154	151
आंध्र प्रदेश	62,002	62.475	1,70,636	1,05,667	7,087	66,404	6,205	9,072
अरुणाचल प्रदेश	8,949	4,545	35,972	15,700	31,601	51,991	6,200	8,611
असम	61,358	49,854	3,36,461	1,98,896	2,27,325	3,62,506	14,087	21,306
बिहार	84,586	84,574	2,40,779	1,91,902	64,881	96,288	16,926	44,156
चंडीगढ़	5,161	5,198	11,722	9,507	782	3,834	248	882
छत्तीसगढ़	37,878	42,360	62,260	46,548	4,223	16,151	2,332	9,239
दिल्ली	64,344	81,488	2,01,768	1,46,205	6,896	55,121	12,239	18,172
गोवा	1,719	1,751	6,526	4,300	451	1,709	296	536
गुजरात	89,693	83,956	2,03,583	1,55,195	11,489	48,489	18,891	33,474
हरियाणा	1,11,949	1,15,364	2,13,289	1,75,386	5,531	55,319	10,907	14,379
हिमाचल प्रदेश	31,021	32,048	59,519	48,870	3,009	15,612	6,604	8,220
जम्मू एवं कश्मीर	43,449	35,455	1,71,809	1,22,659	4,225	58,927	14,077	14,824
झारखंड	40,127	36,487	1.52,044	1,20,103	6,185	15,124	5,558	30,590
कर्नाटक	1,10,922	1,10,111	2,17,053	1,65,247	11,496	53,089	15,793	20,375
केरल	37,590	35,973	1,06,840	78,523	5,193	31,077	6,250	9,858
लद्दाख	1,383	149	1,128	1,937	118	181	590	590
लक्षद्वीप	-	-	150	60	120	90	-	120
मध्य प्रदेश	1,16,641	1,54,478	3,00,336	2.23,483	33,399	95,403	20,065	42,145
महाराष्ट्र	1,80,372	1,65,352	7,60,480	6,36,833	15,277	1,48,352	24,414	29,191
मणिपुर	8,040	4,430	43,557	28,962	23,414	34,540	2,862	3,716
मेघालय	9,793	7,117	18,147	11,999	9,944	17,769	2,438	1,599
मिजोरम	7,742	3,062	12,953	10,837	7,140	11,433	3,784	4,205
नागालैंड	3,195	1,422	24,113	17,364	6,615	14,399	469	679
ओडिशा	97,539	89,011	3.01,065	2,39,050	12,097	68,828	7,188	10,756
पुदुचेरी	5,875	6,317	8,329	7,172	1,324	3,241	900	1,472
पंजाब	53,968	63,732	1,44,497	97,681	11,474	57,054	8,914	17,097
राजस्थान	1,35,307	1,38,923	5,18,614	4,46,900	38,507	97,762	16,500	36,862
सिक्किम	3,812	1,932	5,493	5,123	2,395	3,634	661	1,192
तमिलनाडु	1,15,534	1,23,422	2,48,630	1,85,108	6,824	72,404	19,976	22,007
तेलंगाना	54,613	57,648	1,38,763	1.08,145	7,836	33,999	5,895	11,128
दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	3,938	3,377	4,224	5,338	250	222	2	252
त्रिपुरा	9,768	7,549	72,158	50,388	24,083	46,676	3,695	2,801
उत्तर प्रदेश	3,26,419	3,03,099	8,21,742	6,56,829	60,481	2,39,286	32,548	64,469
उत्तराखंड	45,786	46,864	89,510	68,250	3,273	29,412	7,700	9,809
पश्चिम बंगाल	***83,495***	***80,609***	***2,29,515***	***1,77,880***	***9,583***	***53,221***	***8,348***	***28,525***
कुल	**20,54,337**	**20,40,206**	**59,36,353**	**45,65,306**	**6,64,675**	**19,61,011**	**3,03,716**	**5.32,460**

*****